(70)

384
7-9.15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा, म0प्र0

R. 5032-दो/15

चन्द्रकेश्वरराम
अवधराज कुमारी पति स्व0 ~~xxxxx~~ प्रसाद ब्राम्हण उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम हर्रई, पूर्व थाना बैढ़न तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

=====निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुशील कुमार पाण्डेय तनय स्व0 लालजीराम पाण्डेय निवासी ग्राम हर्रई, थाना बैढ़न तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
2. मध्यप्रदेश शासन

======गैरनिगरानीकर्तागण

अनिल सिंह मदहवाल द्वारा आज दिनांक 07.9.15 को

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढ़न तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र0 -51/अ-12/14-15 आदेश दि0 13-04-2015.

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 संशोधन अधिनियम 2011.

महोदय,

निगरानी के तथ्य निम्न है:-

यहकि, अनावेदक क्र0 1 द्वारा ग्राम हर्रई पूर्व आ0 क्र0 441/1 क रकबा00.45है0 एवं 441/2क रकबा 0.125है0 के सीमाकंन हेतु आवेदन रा0 नि0 म0 बैढ़न के समक्ष प्रस्तुत किया गया, आ0 नं0 441/2क खसरे मे सुशील कुमार वगैरह के नाम दर्ज है तथा 441/2क2 वोद्धराम वगैरह: के पट्टे मे अंकित है किन्तु नक्शे मे नक्शा तरमीम की कार्यवाही अभी तक

10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 5032-दो/15 जिला– सिंगरौली

अवध कुमारी वगै. विरूद्ध सुशील कुमार पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री अनिल सिंह गहरवार अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ ~~नायब तहसीलदार~~/राजस्व निरीक्षक, तहसील चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 51/अ12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 13-4-15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	